UPFD010065322026

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – **डा० बब्बू सारंग,**.....एच०जे०एस०

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**3506/2026**

1. **इन्तजार हुसैन अंसारी** पुत्र अशफाक हुसैन अंसारी, आयु लगभग 64 वर्ष।
2. **सायमीन अंसारी** पत्नी इमरान इंसारी, आयु लगभग 37 वर्ष।

समस्त निवासीगण–47, मौ० बगिया, थाना फिरोजाबाद साउथ, जिला फिरोजाबाद। ----------प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश सरकार।**
2. **सुहालिया (वादी/शिकायतकर्ता)** पुत्री इन्तजार हुसैन, निवासी मौ० बगिया, थाना फिरोजाबाद साउथ, जिला फिरोजाबाद।

----------विपक्षीगण।

अपराध संख्या–**745/2026**
धारा–**74, 351(2)** बी०एन०एस०,
थाना फिरोजाबाद साउथ, फिरोजाबाद।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **इन्तजार हुसैन अंसारी** एवं **सायमीन अंसारी** की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, मुकदमा अपराध संख्या–**745/2026,** अन्तर्गत धारा–**74, 351(2)** भारतीय न्याय संहिता, थाना फिरोजाबाद साउथ, जिला फिरोजाबाद में धारा–482 बी०एन०एस०एस० के तहत अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा सुहालिया पुत्री इन्तजार हुसैन द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद फिरोजाबाद के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसके पिता इन्तजार हुसैन और सगा भाई इमरान उसके व उसकी बहन के साथ गन्दी–गन्दी हरकतें करते हैं और उनके अंगों को गलत तरह से छूते हैं। उसके साथ तो सम्बन्ध बनाने का प्रयास कर चुके हैं। दिनांक 22.06.2026 को वह ऊपर वाले कमरे में थी,

Babbu Sarang
2026-08-13T16:
07:01+0530

उसके पिता मौका देखकर ऊपर आ गये, उसके साथ गन्दी हरकतें करने लगे। उसने माँ को बताया, माँ ने पिता इन्तजार हुसैन से विवाद किया। फिर दिनांक 23.06.2026 को उसके पिता किसी बहाने से उसकी माँ को सुबह 05:00 बजे घर से लेकर चले गये। उसकी मां को पीलिया रोग हो गया था। समय पर उपचार न कराने के कारण दिनांक 02.07.2026 को उसकी मां की मृत्यु हो गई। अब दोनों बहनें घर में पिता इन्तजार हुसैन, भाई इमरान और भाभी सायमीन के साथ रहते हैं, जो हमें रो डराते, धकमाते हैं, रात को गन्दी–गन्दी हरकतें करते हैं। इन लोगों के पास बन्दूक, बकरा काटने वाली छुरियां और तेजाब है। उसके पिता इन्तजार, भाई इमरान और भाभी सायमीन से उसकी इज्जत व जान का खतरा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि वादिया ने उनके विरूद्ध रंजिशवश झूठी एवं मनगढन्त प्राथमिकी दर्ज करायी है, जिसमें लगाये गये समस्त आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य एवं पूरे परिवार को प्रताडित करने की नीयत से बनाए गये हैं। वास्तविकता यह है कि वादिया सुहालिया एवं उसकी बहन महक ने वर्ष 2024 में अपनी मर्जी से विवाह कर लिया था और विवाह के पश्चात से ही दोनों अपने पतियों के बहकावे में आकर अपने वृद्ध पिता पर पैतृक मकान को बेचकर अपना हिस्सा देने का अनुचित दबाव बना रही हैं। सम्पत्ति हडपने व अनुचित दबाव बनाने के लिए ही वादिया ने अपने वृद्ध पिता, भाई व भाभी पर झूठे आरोप लगाये हैं। अभियुक्तगण पूरी तरह से निर्दोष हैं। अभियुक्त इन्तजार हुसैन अत्यंत वृद्ध, 64 वर्षीय व्यक्ति है तथा डायविटीज, उच्च रक्तचाप, सांस एवं हृदय सम्बन्धी गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त है। इस अवस्था में उनकी गिरफ्तारी उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अभियुक्ता सायमीन अंसारी, वादिया की भाभी एवं एक सम्मानित गृहणी है, उसका इस कथित घटना से कोई लेना देना नहीं है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादिया मुकदमा सुहालिया के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति दाखिल कर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादिया मुकदमा के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा केस डायरी, थाने से प्राप्त आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

Babbu Sarang
2026-08-13T16:
07:01+0530

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर, अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादिया मुकदमा के साथ छेडछाड़ करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम केन्द्रीय ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन और अन्य (स्पेशल लीव टू अपील (फौज०) संख्या–5191/2021), निर्णीत दिनांक 11.07.2022 एवं अद्यतन आदेश दिनांकित 21.03.2023 महत्वपूर्ण है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिसमें अपराध को श्रेणीवार वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण, वादिया मुकदमा के पिता व भाभी हैं। थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय की राय में अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **इन्तजार हुसैन अंसारी** एवं **सायमीन अंसारी,** प्रत्येक की ओर से 50,000–50,000/– रूपये की दो–दो सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि का एक–एक व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत स्वीकार की जाती है। अभियुक्तगण दिनांक 21.08.2026 तक सम्बन्धित विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त वर्णित प्रतिभू व बन्धपत्र तथा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग प्रेषित करें।

1. अभियुक्तगण दौरान अग्रिम जमानत भारत की सीमा से बाहर नहीं जायेंगे।
2. अभियुक्तगण विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे।
3. अभियुक्तगण दौरान अग्रिम जमानत किसी भी व्यक्ति को, जो इस मामले के तथ्यों से परिचित है, उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देंगे, उन्हें डरायेंगे, धमकायेंगे नहीं।
4. अभियुक्तगण किसी आपराधिक गतिविधि में भविष्य में संलिप्त होंगे, तो जमानत निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त आधार होगा।

दिनांक–13.08.2026

(डा० बब्बू सारंग)
सत्र न्यायाधीश
फिरोजाबाद।

Babbu Sarang
2026-08-13T16:
07:01+0530